न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 63 / 2023	2023 / 344	20-07-2023	29-08-2024

1. सुमेरसिंह,
2. मोहन,
3. मुरारी,
4. रघुवरी सिंह,
5. सप्पीराम,
6. बलबीर,
7. हरीसिंह पुत्रान श्री अमरसिंह जाति यादव निवासीयान ग्राम धवाला तह0 व जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार अलवर जिला अलवर राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार अलवर दिनांक 21.12.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 78 / 2020

उपस्थितः—

01—श्री गोविन्दराम यादव —वकील अपीलाण्ट

02—राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेण्ट

—निर्णय—

अपीलान्ट ने यह अपील तहत अदालत तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 21.12.2020 प्रकरण संख्या 78 / 2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट को आराजी मुतनाजा से बेदखल कर पेनल्टी कायम करने का आदेश दिया गया, से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलान्टस ग्राम धवाला तहसील व जिला अलवर राजस्थान के निवासी हैं तथा यहीं पर अपीलान्टस की काश्त की आराजी है व मकानात बने हुये हैं जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अपीलान्टस की गांव की आराजी व रिहायश से लगता हुआ ही, खसरा नम्बर 3 रकबा 53.30 हैक्टेयर गैरमुमकिन पहाड (सिवायचक) की आराजी हैं, जो आराजी वन (फोरेस्ट) विभाग की है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। जंगलात से जंगली जानवर अक्सर अपीलान्टस के घरो व खेतो में आते रहते है, इस कारण से अपीलान्टस व अन्य ग्रामवासियों ने उन्हे रोकने के लिए काफी समय से तारबन्दी कर बाडे बना रखे है, अपीलान्टस के पूर्वजो ने भी आराजी खसरा नम्बर 3 में रकबा 0.10 हैक्टेयर पर अरसा करीब 20—25 वर्ष से बाडा बना रखा हैं, जिसका तहसीलदार द्वारा अपीलान्टस को नोटिस दिनांक 15—12—2020 का दिया। अपीलान्टस ने दिनांक 15—12—2020 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, तत्पश्चात तहसीलदार अलवर जिला अलवर राजस्थान ने बगैर कोई साक्ष्य लिए दिनांक 21—12—2020 को निर्णय पारित करते हुये, अपीलान्टस को बेदखल कर पेनल्टी के आदेश कर दिये, जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न वजूहात के साथ न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत हैं। तहसीलदार अलवर जिला अलवर राजस्थान ने उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का के बयान नही लिये, तथा बगैर बयान लिऐ ही एंव अपीलान्टस को साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित दिये, जो आदेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। पटवारी हल्का ने 7 व्यक्तियों को एकसाथ इकजाई नोटिस जारी किया हैं, उसमें किस व्यक्ति ने कितने रकबा पर अतिक्रमण कर रखा हैं, इसका उल्लेख नही है। जिस आधार पर भी आदेश दिनांक 21–12–2020 निरस्तनीय हैं। तहत अदालत ने बगैर मौका निरीक्षण किये, नोटिस जारी कर दिये, तथा बाद में भी तहसीलदार ने मौका निरीक्षण नही किया। जिस आधार पर भी आदेश दिनांक 21–12–2020 निरस्तनीय हैं। अपीलान्टस का विवादित आराजी पर पुराना कब्जा हैं, जिस बात पर भी तहत अदालत ने कोई गौर नही किया। जिस आधार पर भी आदेश दिनांक 21–12–2020 निरस्तनीय हैं। विवादित आराजी वन विभाग के क्षेत्राधिकार में है। जिनको पक्षकार नही बनाया, तथा ना ही वन विभाग ने अपीलान्टस को कोई नोटिस दिया। जिस आधार पर भी आदेश दिनांक 21–12–2020 निरस्तनीय हैं। निर्णय तहसीलदार अलवर जिला अलवर राजस्थान दिनांक 21–12–2020 का हैं, जिसकी अपील अदालत श्रीमान द्वारा श्रवण योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर जिला अलवर राजस्थान की आज्ञा दिनांक 21–12–2020 से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एंव प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्त है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर जिला अलवर राजस्थान की आज्ञा दिनांक 21–12–2020 निरस्त फरमायी जावे तथा आराजी को विनियमन किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, पटवारी हल्का अकबरपुर एवं भू0अ0निरीक्षक अकबरपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 3/53.30 किस्म गैर मुमकिन पहाड (सिवायचक) दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 3/53.30 में से 0.10 है0 पर लोहे की जाली लगाकर किया गया निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलाण्ट पूर्व में अतिक्रमी रहा है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)